यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **04/2009** से माह **09/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव रावत, व.ले.प. द्वारा दिनांक **14.10.2020** से **21.10.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-1

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एस. नेगी-I, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्रीमती नीरजा बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक **14.07.2009** से **28.07.2009** तक संपादित की गई थी जिसमें वर्ष **2008-09** के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2009** से **09/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा देहरादून शहर के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डों में पेयजल एवं ड्रेनेज से संबन्धित कार्य संपादित किए जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि `लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2009-10	68.385	0.000	8043.088	7980.397	131.076	0.000	0.000	0.000
2010-11	131.076	0.000	4200.639	3942.641	389.074	0.000	0.000	0.000
2011-12	389.074	0.000	2982.234	3132.978	238.330	0.000	0.000	0.000
2012-13	238.330	0.000	2086.293	2145.009	179.614	0.000	0.000	0.000
2013-14	179.614	0.000	2003.821	2048.214	135.221	0.000	0.000	0.000
2014-15	135.221	0.000	1390.242	1336.270	189.193	0.000	0.000	0.000
2015-16	189.193	0.000	849.093	814.736	223.550	0.000	0.000	0.000
2016-17	223.550	0.000	1152.917	968.520	407.947	100.429	99.481	0.948
2017-18	407.947	0.948	1024.070	1066.785	365.232	1655.477	1652.585	3.840
2018-19	365.232	3.840	1868.574	1986.509	247.297	3755.091	2761.164	997.767
2019-20	247.297	997.767	2242.853	2264.035	226.116	1819.664	2284.776	532.655
2020-21 (Upto 09/2020)	226.116	532.655	602.586	627.149	201.553	1830.866	1208.564	1154.957

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17			2017-18			2018-19		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
AMRUT	0.000	100.429	99.481	0.948	1655.477	1652.585	3.840	3755.091	2761.164
योजना का नाम	**2019-20**			**2020-21 (Upto 09/2020)**					
	प्रारंभिक अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रारंभिक अवशेष**				**प्राप्ति**	**व्यय**
AMRUT	997.767	1819.664	2284.776				532.655	1830.866	1208.564

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा देहरादून शहर के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डों में पेयजल एवं ड्रेनेज से संबन्धित कार्य संपादित किए जाते हैं । इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा पेयजल एवं ड्रेनेज से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **09/2009, 04/2013, 12/2017, 06/2018, 10/2019 एवं 08/2020 (व्यय) तथा 07/2009, 12/2011, 02/2019, 12/2017, 05/2020 एवं 10/2019 (आय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। पेयजल एवं ड्रेनेज से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1: अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत जलापूर्ति की योजना में अनियमित कार्य निष्पादन व अनुचित व्यय ` 467.40 लाख।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 'देहरादून जलापूर्ति की 23 ज़ोन आच्छादन की योजना' हेतु विस्तृत आगणन, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून शाखा द्वारा ` 225.88 करोड़ की लागत का तैयार किया गया था। केंद्रीय भंडार शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, जोगीवाला, देहरादून को अमृत कार्यक्रम हेतु प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट (पी.आइ.यू. अमृत) नामित किए जाने के उपरांत अप्रैल 2017 में वर्णित योजना हस्तांतरित की गई। उक्त योजना हेतु शासन द्वारा अनुमोदित State Annual Action Plan (SAAP) के सापेक्ष ` 128.56 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2017) जिस के अंतर्गत परियोजना में प्रस्तावित कुल 23 मे से 19 ज़ोन प्राथमिकता पर लाभान्वित किए जाने थे।

अधिशासी अभियन्ता, केंद्रीय भंडार शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, जोगीवाला, देहरादून की लेखापरीक्षा (अक्तूबर 2020) में पाया गया कि वर्णित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 31 अनुबंध गठित हुए जिन के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवधि (अक्तूबर 2020) तक कुल 19 ज़ोन के सापेक्ष मात्र 05 ज़ोन जलापूर्ति हेतु आच्छादित किए गए थे।

परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत बजट नियोजन के सापेक्ष लेखापरीक्षा अवधि तक प्राप्ति व उपयोग का विवरण निम्नवत पाया गया:

(` करोड़ में)

प्रस्तावित बजट नियोजन		**अवमुक्त धनराशि**				**वर्तमान स्थिति**	
वर्ष	**धनराशि**	**किश्त**	**केन्द्रीय अंश (90 प्रतिशत)**	**राज्यान्श (10 प्रतिशत)**	**योग**	**भौतिक (प्रतिशत में)**	**वित्तीय (प्रतिशत में)**
2015-16	22.03	प्रथम	18.24	2.03	20.27	80	100
2016-17	54.50	द्वितीय	35.99	4.00	39.99	80	89
2017-18	52.03	तृतीय	14.55	1.62	16.17	80	100
योग	**128.56**		**68.78**	**7.65**	**76.43**		

लेखापरीक्षा के दौरान इकाई द्वारा उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून शाखा से किए गए पत्राचार का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि देहरादून शाखा को पूर्व में वर्णित योजना के अंतर्गत

` 15.94 करोड़ की धनराशि आबंटित हुई थी जिस के सापेक्ष मात्र ` 6.72 करोड़ समायोजित किए गए थे तथा शेष धनराशि ` 9.22 करोड़ लेखापरीक्षित इकाई को अवमुक्त नहीं किए गए। अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि आगणन में जोनवार स्वीकृत कार्य मदों के सापेक्ष काफी कम मदों को अनुबंध में शामिल किया गया था। इस के अतिरिक्त कुछ अनुबंध ऐसे कार्य मदों हेतु अलग से गठित किए गए जिन का आंकलन पूर्व में नहीं किया गया था जिस के कारण अनुबंधों की कार्य मदें विस्तृत आगणन में शामिल नहीं थीं। अनुबंध संख्या 3/AE/2018-19 ज़ोन संख्या 28 में स्थित नलकूप हेतु पम्प हाउस व तत्सम्बंधी कार्यों हेतु ` 8.37 लाख का गठित किया गया था। उक्त अनुबंध के अंतर्गत ` 25.76 लाख का अतिरिक्त कार्य कराया गया जिस में कार्यालय भवन का विस्तारीकरण कर निधियों का व्यपवर्तन किया गया। अनुबंध संख्या 3/AE/2018-19 के अतिरिक्त तीन अन्य अनुबंध बिना पूर्व स्वीकृति के तथा बिना विस्तृत आगणन के निष्पादित हुए जिस का विवरण निम्नवत है:

(` लाख में)

अनुबंध संख्या	सितम्बर 2020 तक कुल भुगतान	देयक का संदर्भ व दिनांक
3/AE/18-19	34.39	दूसरा व अंतिम देयक दिनांक 25/10/2019
01/AE/18-19	11.60	25/12/2019
02/EE/18-19	26.35	चौथा देयक 22/04/2019
03/EE/18-19	32.72	तीसरा चालू देयक दिनांक 28/03/2019
योग	105.06	

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अंतर्गत अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी को ` 75.00 लाख की धनराशि तक की सीमा से संबन्धित अनुबंध गठन का अधिकार है।
अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि वर्णित योजना हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 03 ऐसे अनुबंध गठित किए गए जिस में वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का उल्लंघन किया गया। उक्त तीन अनुबंध ` 75.00 लाख की धनराशि तक की सीमा के अंतर्गत गठित करने के उपरांत अधिक धनराशि के कार्य संपादित कराए जाने हेतु भिन्नता विवरण कार्य निष्पादन से पूर्व ही स्वीकृत कराए गए। विवरण निम्नवत है:

(` लाख में)

अनुबंध संख्या	अनुबंधित धनराशि	पुनर्रीक्षित अनुबंधित राशि	अगस्त 2020 तक संपादित कार्य
01/EE/2017-18	73.58	152.62	95.54
04/EE/2017-18	74.16	80.99	80.99
05/EE/2017-18	73.89	138.73	137.35

परियोजना से संबन्धित 22 अनुबंधों के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा के सापेक्ष विभिन्न व्यास के 26771.29 मीटर पानी की पाइपों का अधिक बिछान कर ` 362.34 लाख का व्यायाधिक्य हुआ। स्वीकृत धनराशि ` 128.56 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त ` 76 43 करोड़ भी पूर्ण रूप से उपयोग न करने के फलस्वरूप शेष धनराशि शासन/निदेशालय से आबंटित नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा अवधि तक योजना अपूर्ण थी जबकि अमृत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 तक समस्त योजनाओं को पूर्ण किया जाना लक्षित था परंतु इकाई समयान्तर्गत लक्ष्य पूर्ण करने तथा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु द्रुत गति से कार्य संपादित करने में विफल रही।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त कार्यों के रूप में प्रश्नगत अनुबंधों का गठन किया गया जिस कारण पूर्व में स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी तथा योजना अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की कार्यवाही गतिमान है।

पानी की पाइपों के अधिक बिछान के संबंध में बताया गया कि प्राक्कलन के अनुसार योजना में कुल 387.815 कि.मी. लाइन बिछाई जानी प्रस्तावित थी जिस के सापेक्ष कार्य सम्पादन के समय योजना में कन्फर्मेट्री सर्वे किया गया जिस में वास्तविक लाइन के बिछाने में भिन्नता आई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 04 अनुबंध बिना आगणन के अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया जाना तथा ` 25.76 लाख का व्यपवर्तन किया जाना अनुपयुक्त नियोजन का परिचायक है। पाइपों के अधिक बिछान की गणना प्राक्कलन के सापेक्ष नहीं अपितु अनुबंधों के सापेक्ष की गई है। इस के अतिरिक्त कन्फर्मेट्री सर्वे से संबन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः ` 105.06 लाख के अनुबंध बिना आगणन के निष्पादित किए जाने, निधियों का व्यपवर्तन किए जाने तथा वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का उल्लंघन किए जाने से कार्य निष्पादन में अनियमितता बरती गई तथा आवश्यकता से अधिक पानी की पाइपों का बिछान कर ` 362.34

लाख का व्यायाधिक्य किया गया। इस प्रकार कुल ` 467.40 लाख (362.34 लाख +105.06 लाख) का अनुचित व्यय किया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 2 : रुपये 5.19 करोड़ लागत के कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाना तथा वित्तीय परिसीमन से अधिक के अनुबंध गठित करते हुए कार्य का अनियमित निष्पादन।

अमृत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु अनुमोदित State Annual Action Plan (SAAP) के सापेक्ष "देहरादून पंडितवाड़ी एवं धरतावाला में ड्रेनेज प्रणाली सुधार कार्य" हेतु रुपये 599.69 लाख की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिसम्बर 2016 में प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य दिनाँक – 01.09.2016 को प्रारम्भ कर दिनाँक – 28.02.2019 को रुपये 5.185 करोड़ के व्यय उपरान्त पूर्ण किया जा चुका था।

I- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2008 के **अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत**(बिन्दु-3) के बिन्दु 10 के अनुसार "*निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाये। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा*"।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के Working Manual, 2015 के बिन्दु 14.2.1 (tenders for works costing up to Rs. 20 Crores) के अनुसार *"रुपये 60.00 लाख से ऊपर के कार्यों की खरीद के लिए निविदा को कम से कम दो व्यापक रूप से प्रसारित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा रुपये 150.00 लाख से ऊपर के कार्यों की खरीद के लिए ई-टेंडरिंग द्वारा निविदा आमंत्रित की जाएगी।"*

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली, 2008 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के Working Manual के अनुपालन में विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए था तथा सम्पूर्ण कार्य की लागत रुपये 150.00 लाख से अधिक होने के कारण कार्य के सम्पादन हेतु निविदाएँ E-tendering के माध्यम से आमंत्रित की जानी चाहिए थी।

परंतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केंद्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम के Working Manual के प्रावधानों के विपरीत उक्त कार्य को 05 भागों (तालिका – I) में विभाजित किया गया था तथा कार्य के सम्पादन हेतु निविदाएँ E-tendering की बजाए अल्पकालीन निविदा के माध्यम से आमंत्रित की गयी थी जोकि अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली तथा Working Manual के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।

तालिका - I

S. No.	Bond No.	Contract Amt (` In lakh)	Name of Contractor	DoS	DoC
1	15/EE/2016-17	70.90	M/s Ankita Constructions	01.09.2016	28.02.2017
2	16/EE/2016-17	71.78	M/s Ankita Constructions	01.09.2016	28.02.2017
3	01/SE/2016-17	143.69	M/s Ankita Constructions	07.12.2016	06.06.2017
4	02/EE/2017-18	71.70	M/s Ankita Constructions	29.08.2017	18.11.2017
5	01/AE/2017-18	9.85	M/s Ankita Constructions	12.09.2017	12.12.2017

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संदर्भित योजना हेतु तीन भागों की अलग-अलग निविदा पूर्ववर्ती शाखा (देहरादून शाखा, देहरादून) द्वारा आमंत्रित की गयी थी जिसके संबंध में देहरादून शाखा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शेष कार्यों हेतु निविदाएँ केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत) द्वारा आमंत्रित की गयी थी। विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

II - उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, (2011) के विवरण पत्र – V – ठेके/ और टेण्डर के अनुसार किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए **पेयजल निगम** में तैनात **अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा टेण्डर स्वीकृत करने की परिसीमा रुपये 75,00,000/- (रुपये पिचहत्तर लाख)** तक तय की गयी है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – VI के नियम 369 के अनुसार *"It is not the intention to prevent the officers mentioned in the preceding paragraph from giving out to different contractors a number of contracts relating to one work, even though such work may be estimated to cost more than the amount up to which they are empowered to accepts tenders. But no individual contractor may receive a contract amounting to more than this sum nor, if he has received on contract, may be receive a second in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the sum of the contractor exceeds the power of acceptance of the authority concerned*
***तथा नियम – 370** के अनुसार "Departures from the rules contained in paragraphs 351 to 369 will be permitted by the Government only in unavoidable circumstances. The following points should be very carefully noted:*
I- No authority may enter into a contract into which he is not empowered to enter under paragraph 368 or which infringes the rule in paragraph 369."

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, (2011) को वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग – VI के नियम 369 एवं 370 के साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि पेयजल विभाग में तैनात किसी भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक ही समय में एक कार्य हेतु किसी ठेकेदार के साथ बिना शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करे अपनी निर्धारित वित्तीय परिसीमा (रुपये 75.00 लाख) से अधिक के अनुबंध का गठन नहीं किया जा सकता है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केंद्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करे वित्तीय नियमों के विपरीत एवं अपने वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का उल्लंघन करते हुए एक कार्य हेतु एक ही समय में एक ही ठेकेदार के साथ अपनी वित्तीय परिसीमा (रुपये 75.00 लाख) से अधिक के अनुबंध गठित किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि अनुबंध वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों के अन्तर्गत गठित किए गए थे। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन,

(2011) के अनुसार पेयजल निगम में तैनात अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा टेण्डर स्वीकृत करने की परिसीमा केवल रुपये 75,00,000/- (रुपये पिचहत्तर लाख) तक तय की गयी है तथा बिना शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करे अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक कार्य हेतु एक ही समय में एक ही ठेकेदार के साथ अपनी निर्धारित वित्तीय परिसीमा से अधिक (142.68 लाख)[1] के अनुबंध गठित किया जाना वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का स्पष्ट उल्लंघन था।

III – उपरोक्त कार्य हेतु गठित सभी अनुबंधों (अनुलग्नक – I) में ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम प्रदान करने हेतु कोई भी प्रविधान नहीं किया गया था तथा बिना किसी प्रविधान के विभाग द्वारा ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम प्रदान नहीं किया जाना चाहिए था। परंतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केंद्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा ठेकेदार को बिना किसी प्रविधान के तीन अनुबंधों के सापेक्ष कुल रुपये 64.00 लाख[2] का सुरक्षित अग्रिम प्रदान कर अदेय लाभ दिया गया था जोकि अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त देहरादून शाखा, पेयजल निगम द्वारा दिया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम प्रदान किए जाने हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति से संबन्धित अभिलेख एवं माप-पुस्तिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

IV - उपरोक्त कार्य के प्राक्कलन के अनुसार ड्रेनेज कार्यों में बिछाये जाने वाले आर.सी.सी. पाईप्स की बैडिंग हेतु जी.एस.बी[3]. का प्रविधान किया गया था तथा विभाग द्वारा प्राक्कलन के अनुसार ही कार्य संपादित किए जाने चाहिए थे। परंतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केंद्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु गठित दो अनुबंधों में आर.सी.सी. पाईप्स की बैडिंग हेतु जी.एस.बी. का प्रविधान तो किया गया था परंतु कार्य के सम्पादन के दौरान जी.एस.बी. के स्थान पर अधिक लागत की मद (Providing and laying PCC 1:2:4) के द्वारा कार्य संपादित कर रुपये 4.14 लाख का अधिक व्यय किया गया था।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार	संपादित कार्य	अधिक व्यय
1	15/EE/ 2016-17	Providing granular bedding (150 Cum x Rs 1520 = 2,28,000.00	Providing and laying PCC (1:2:4) (69.66 Cum x Rs 5450 = 379647.00	1,51,647.00
2	01/SE/ 2016-17	Providing granular	Providing and laying PCC	2,62,341.00

[1]

S. No.	Bond No.	Contract Amt (` In lakh)	Name of Contractor	DoS	DoC
1	15/EE/2016-17	70.90	Ankita Constructions	01.09.2016	28.02.2017
2	16/EE/2016-17	71.78	Ankita Constructions	01.09.2016	28.02.2017

[2] अनुबंध संख्या - 15/EE/2016-17 – 15.00 लाख, अनुबंध संख्या - 16/EE/2016-17 – 15.00 लाख, अनुबंध संख्या - 01/SE/2016-17 – 34.00 लाख

[3] Granular sub-base

		bedding (450 Cum x Rs 1450 = 6,52,500.00	(1:2:4) (169.415 Cum x Rs 5400 = 379647.00	
			Total	4,13,988.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि अनुबंध में बैडिंग हेतु ग्रैनुलर बेस का प्रविधान अनुमानित आधार पर किया गया तथा कार्य के सम्पादन के दौरान ट्रेंच की गहराई बढ़ने के कारण रिडिज़ाइन के तहत एवं वास्तविक कार्यों के आधार पर सीमेंट कंक्रीट का कार्य संपादित कराया गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य को रिडिज़ाइन किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह भी कि यदि कार्य के सम्पादन के दौरान ट्रेंच की गहराई बढ़ने के कारण सीमेंट कंक्रीट की आवश्यकता थी भी तो विभाग द्वारा केवल अधिक गहराई वाले स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट का कार्य किया जाना चाहिए था परंतु विभाग द्वारा सम्पूर्ण लम्बाई में ग्रैनुलर बेस के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट से कार्य संपादित कर रुपये 4.14 लाख का अधिक व्यय किया गया था।

V - उपरोक्त कार्य का मुख्य उद्देश्य पंडितवाड़ी एवं धरतावाला क्षेत्र में वर्षा जल भरान की समस्या का समाधान किया जाना था। कार्य के प्राक्कलन के अनुसार वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु कैच-पिट के साथ 1200.00 मीटर K.C. type drain का निर्माण किया जाना था। परंतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केंद्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि विभाग द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन हेतु गठित किसी भी अनुबंध में K.C. type drain के निर्माण का प्रविधान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन में K.C. type drain का प्रविधान अनुमानित आधार पर किया गया था। K.C. type drain का निर्माण सड़क निर्माण के साथ-साथ ही किया जाता है तथा प्राक्कलन में K.C. type drain का प्रविधान होने पर अनुबंध में न रखने का कारण कार्य स्थल पर सड़क के दोनों ओर existing K.C. type drain का होना तथा सड़क का पुनर्निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि कार्य स्थल पर सड़क के दोनों ओर K.C. type drain पहले से ही निर्मित थी तो उक्त हेतु प्राक्कलन में प्रविधान कर शासन से रुपये 25.33 लाख की स्वीकृति क्यों प्राप्त की गयी थी? यह भी कि संबन्धित सड़क के निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा K.C. type drain का निर्माण किया गया या नहीं के संबंध में कोई भी जानकारी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी|

भाग II-'ब '

प्रस्तर 1 : जिला न्यास निधि अंशदान की धनराशि `1,30,432/- की कटौती कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते में जमा न कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांकित 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12 जनवरी 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष `**5,21,728/-** की रॉयल्टी की कटौती की गई थी जिसे इकाई द्वारा चालान के माध्यम से रॉयल्टी के लेखाशीर्ष (0853) में जमा किया जाना था परन्तु इकाई द्वारा उक्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की बजाय चेक के माध्यम से निम्नानुसार जिलाधिकारी, देहरादून कार्यालय को प्रेषित किया गया था:-

धनराशि (` में)

क्र.सं.	**चेक संख्या**	**चेक दिनांक**	**प्रेषित की गई रॉयल्टी की धनराशि**
01.	136	12.12.2018	151974
02.	318	23.04.2019	105444
03.	348	28.06.2019	78650
04.	165	30.10.2019	132822
05.	183	28.11.2019	49708
06.	202	30.12.2019	720
07.	574615	27.07.2020	2410
		कुल	**5,21,728**

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष काटी गई रॉयल्टी की धनराशि `**5,21,728/-** के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रॉयल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि `**1,30,432/-** की संबन्धित निर्माण कार्यों से कटौती करके लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2020) तक जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते में जमा नहीं कराई गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण जिला न्यास निधि अंशदान की कटौती नहीं की जा सकी थी। इकाई ने आगे बताया कि शीघ्र ही संबन्धित ठेकेदारों से पत्राचार कर जिला न्यास निधि अंशदान की धनराशि की वसूली की जायेगी तथा उक्त धनराशि को जिला खनिज न्यास के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा।

रॉयल्टी की धनराशि को जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए जाने के सम्बंध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रॉयल्टी की धनराशि को जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था। भविष्य में चालान के माध्यम से रॉयल्टी की धनराशि को राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः इकाई द्वारा जिला न्यास निधि अंशदान की धनराशि `1,30,432/- की कटौती कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते में जमा न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर: (2) - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹2.87 लाख का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय भण्डार शाखा/पी०आई०यू० (अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले ब्याज की हानि हो रही है।
उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल 09 कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि ₹2,87,287.40/- का कम अंशदान किया गया। (**<u>संलग्नक)</u>

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: <u>अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अंशदान धनराशि ₹2.87 लाख</u> का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 3 : निविदा प्रतिभूति की धनराशि ` 21.66 लाख का वापस न लौटाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 36(3) के अनुसार, "असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति उसकी अन्तिम वैधता अवधि की समाप्ति पर यथाशीघ्र, परन्तु संबन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा संविदा करने के उपरान्त 30 (तीस) दिन के अन्तर्गत ही संबन्धित निविदादाताओं को लौटा देनी चाहिए।"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के निविदा प्रतिभूति रजिस्टर की जांच में पाया गया कि निविदा प्रतिभूति की अन्तिम वैधता अवधि समाप्ति होने/ संविदा की तिथि के 30 दिन पश्चात भी असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति की धनराशि उन्हें वापस नहीं लौटाई गई थी। निविदा प्रतिभूति रजिस्टर के अनुसार वर्तमान (अक्टूबर 2020) में इकाई के पास असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति की उपलब्ध धनराशि का विवरण निम्नानुसार था:-

क्र.सं.	फर्म/ठेकेदार का नाम	एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. संख्या	दिनांक	वैधता	धनराशि (`)
01.	M/s Himtech Engineering Consultancy	555465	05.02.2014	05.02.2015	4000
02.	M/s Himalayan Engineer	524319	09.08.2019	09.08.2020	5000
03.	Sh. Saklanand Lakhera	0035316	26.08.2019	26.08.2020	50000
04.	M/s Himalay Associates	909645	10.01.2020	10.01.2021	617000
05.	M/s O.P. Gupta	3180PU00023224	29.01.2020	29.07.2020	1490000
				Total	**` 2166000**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण निविदा प्रतिभूति की धनराशि को ठेकेदारों को वापस नहीं लौटाया जा सका था।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों के अनुसार संविदा करने के 30 (तीस) दिन उपरान्त भी निविदा प्रतिभूति की धनराशियों को संबन्धित ठेकेदारों/फ़र्मों को वापस नहीं लौटाया गया था। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा उपरोक्त निविदा प्रतिभूतियों का वार्षिक भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर: (4) - भण्डार में उपलब्ध रु 131.21 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री (Unserviceable) एवं रु 547.17 लाख की उपयोगी सामग्री (Serviceable) का समायोजन न किया जाना|

Financial handbook Vol-6 Rule 188 states that when any serviceable stores, including tools and plant except those instruments which are returnable to the Survey and Mathematical Instrument Officer have been declared as surplus to requirements by competent authority, they should at once be reported by the divisional officer to the Stores Purchase Officer. If the notification dose not result in a sale to a member of the public or in transfer to another department within six months from the date of publication the surplus stores shall be survey-reported and disposed of in accordance with department rules.

189- When stores of any kind become unserviceable, a report thereof should be made in form no. 18 This should be done at once on discovery of the fact.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय भण्डार शाखा/पी०आई०यू०(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ था कि इकाई के भण्डार में रु 13,121,215.64 की सामग्री निष्प्रयोज्य (Unserviceable) एवं रु 54,716,889.78 की सामग्री उपयोगी (Serviceable) अवस्था में उपलब्ध थी |

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol-6 के नियम 188 & 189 के अनुसार खण्ड द्वारा भण्डार में उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री की छः माह के भीतर समायोजन/नीलामी कर देनी चाहिये थी| परन्तु कार्यालय की लेखापरीक्षा जाँच (माह 10/2020) में पाया गया था कि खण्ड के भण्डार में निष्प्रयोज्य सामग्री वर्ष 2015-16 से उपलब्ध होने के उपरान्त भी खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भी उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री का समायोजन/नीलामी नही की गयी थी |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया था कि सामग्री प्रधान कार्यालय के आदेशो पर गढ़वाल क्षेत्र की शाखाओ द्वारा भण्डार में जमा करायी गयी थी | अधिक्तम सामग्री वर्तमान में चलन में नही होने के कारण निष्प्रयोज्य हो गयी थी | सामग्री के विक्रय हेतु सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गयी थी एवं अध्यक्ष द्वारा स्वकृति प्रदान की गयी थी एवं नीलामी से सम्बंधित निविदा अधीक्षण अभियंता को प्रेषित की गयी थी |

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योंकि खण्ड द्वारा उक्त सामग्री का समायोजन/नीलामी सामग्री प्राप्त होने के छः माह के भीतर कर देना चाहिये था परन्तु खण्ड द्वारा उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री प्राप्त होने के पाँच वर्ष पश्चात भी सामग्री का समायोजन/ नीलामी नही की गयी थी |

अतः विभाग द्वारा रुपये 131.21 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री का विगत 5 वर्षों से समायोजन/नीलामी न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है|

(ख) वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol-6 के नियम 188 & 189 के अनुसार उपयोगी सामग्री की छः माह के भीतर समायोजन कर देना चाहिये था| परन्तु कार्यालय की लेखापरीक्षा जाँच (माह 10/2020) में पाया गया था कि खण्ड के पास उपयोगी सामग्री वर्ष 2015-16 से उपलब्ध होने के उपरान्त भी खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त उपयोगी सामग्री का समायोजन नही की गया था |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया था कि सामग्री प्रधान कार्यालय के आदेशो पर गढ़वाल क्षेत्र की शाखाओ द्वारा भण्डार में जमा करायी गयी थी | उपयोगी सामग्री को प्रयोग किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे जिसके हेतु उच्चधिकारियों को भी पत्र लिख कर अनुरोध किया गया था | खण्ड ने यह भी अवगत कराया था कि वर्तमान में सभी निर्माण कार्य टर्नकी/सामग्री सहित अनुबंधों के अंतर्गत कराये जा रहे थे जिस कारण उपयोगी सामग्री को किसी निर्माण कार्य में प्रयोग में नही लाया जा सका था |

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योंकि खण्ड द्वारा उक्त उपयोगी सामग्री को निगम द्वारा निर्माण की जा रही योजनओं में यथा सम्भव प्रयोग में लिया जाना चाहिए था या सामग्री का समायोजन छः माह के भीतर कर देना चाहिये था परन्तु खण्ड द्वारा उक्त उपयोगी सामग्री के प्राप्त होने के पाँच वर्ष पश्चात भी सामग्री को किसी निर्माण कार्य में उपयोग में नही लाया गया था| खण्ड द्वारा यह भी अवगत नही कराया गया था भण्डार में उपलब्ध उपयोगी सामग्री किस योजना के अंतर्गत क्रय की गयी थी तथा सामग्री का प्रयोग उन योजनओं में क्यों नही किया गया था|

अतः विभाग द्वारा रुपये 547.17 लाख की उपयोगी सामग्री का विगत 5 वर्षों से किसी भी कार्य में उपयोग/समायोजन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है|

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
31/1996-97	--	**01**	--
25/99-2000	01	02 **से 04**	--
11/2000-2001	01	**01 से 04**	--
26/2001-02	03	--	--
31/2004-05	01	--	--
76/2005-06	--	**01 से 04**	--
50/2006-07	--	--	**01**
04/2008-09	01, 02, 04, 05	01 से 06	--
09/2009-10	01	01, 02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई के पत्रांक संख्या 2494/वि.अनु./ ऑडिट आपत्ति/ए-2/103 दिनांकित 21.12.2016 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु.), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	ई. एस.डी.एस. मेहता	अधिशासी अभियन्ता	16.08.2007 से 09.08.2012
02.	ई. एस.सी. त्यागी	अधिशासी अभियन्ता	10.08.2012 से 31.01.2013
03.	ई. नमिता त्रिपाठी	अधिशासी अभियन्ता	31.01.2013 से 31.10.2013
04.	ई. जी.पी. पुरोहित	अधिशासी अभियन्ता	01.11.2013 से 29.07.2015
05.	ई. सुमित आनन्द	अधिशासी अभियन्ता	30.07.2015 से 05.05.2018
06.	ई. जी.पी. सिंह	अधिशासी अभियन्ता	05.05.2018 से 21.08.2020
07.	ई. संदीप कश्यप	अधिशासी अभियन्ता	21.08.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा (पी.आई.यू. अमृत), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/07 दिनांकित 26.10.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या-05